न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना माहवर, आर0ए0एस0)

अपील/43/2019 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

1. राजकुमारी पुत्री लालचन्द
2. जावित्री पत्नी लालचन्द

} जाति जाट निवासी ग्राम सैधली तहसील जिला भुसावर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर
2. जगवीर सिंह
3. गजेन्द्र सिंह
4. सुरेन्द्र सिंह

} पुत्रान लालचन्द

5. गीता पत्नी वीरेन्द्र सिंह
6. परमेन्दर पुत्री वीरेन्द्र सिंह
7. सुशीला पत्नी रोशनलाल
8. लोकेन्द्र पुत्र रोशनलाल
9. सुमेरसिंह पुत्र रामप्रसाद
10. राजेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद

} जाति जाट निवासी ग्राम सैधली तहसील भुसावर जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार भुसाव
नामान्तकरण संख्या 875 दिनांक 07.06.2016 वाकै ग्रा
सैधली तहसील भुसावर जिला भरतपुर

उपस्थित :–

1–श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक अपीलान्ट,
2–राजकीय अभिभाषक, रैस्पो0 संख्या 1

दिनांक 17.09.2

निर्णय

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अं
तहसीलदार भुसावर की आज्ञा दिनांक 07.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की ग

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आदेश नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 07.06.16 ग्राम सैधली तहसील भुसावर विधि विरूद्ध होने से काविल खारिजी के है। अपीलान्टान व रैस्पो0 संख्या 2 लगायत 10 के कब्जे काश्त काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बरान वाकै ग्राम सैधली तहसील भुसावर में है जिसकी बाबत अपीलान्टान व रैस्पो0 द्वारा आपसी सहमति से आराजी का विभाजन कराने हेतु तहसीलदार भुसावर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार भुसावर द्वारा कुरा सं0 01 अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के हक में, कुरा संख्या रैस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 के हक में, कुरा संख्या 3 रैस्पोडेन्ट संख्या 09 के हक में व कुरा संख्या 4 रैस्पोडेन्ट संख्या 10 के हक में कायम किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 07.06.16 को तहसीलदार भुसावर द्वारा स्वीकृत किया गया है जो विधि विरूद्ध है तथा तहसीलदार द्वारा बनाई गई कुरा रिपोर्ट से भिन्न है। तहसीलदार भुसावर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम ही दर्ज नहीं किया है जबकि नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम होना कानूनन आवश्यक था इसी आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण काविल खारिज योग्य है। अपीलधीन नामान्तरकरण विभाजन के आधार पर स्वीकार किया गया है विभाजन में तहसीलदार भुसावर द्वारा कुरा संख्या 1 गजेन्द्रसिंह, जगवीरसिंह, सुरेन्द्रसिंह पिसरान स्व0 लालचन्द, श्रीमती जावित्री पत्नी स्व0 श्री लालचन्द, राजकुमारी पुत्री स्व0 श्री लालचन्द व हिस्सा बराबर 5/6 हिस्सा, पर मिन्दर पुत्री स्व0 वीरेन्द्रसिंह, गीतादेवी पत्नी वीरेन्द्रसिंह हिस्सा बराबर 1/6 जाति जाट साकिन देह खातेदार बाबत खसरा नम्बर 364/2–12, 22/6/1–08, 359/2–06, 272/1–02, 273/1–03, 389/1–11 किता 6 रकवा 10–02 की बाबत कायम किया गया था लेकिन तहसीलदार भुसावर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 07.06.16 के आधार पर स्वीकृत किया गया में नामान्तरकरण में कुरा सं0 1 के खातेदारान का नमा दर्ज करते समय अपीलान्टान राजकुमारी पुत्री स्व0 लालचन्द व जावित्री पत्नी स्व0 लालचन्द का नाम छोड दिया और केवल गजेन्द्रसिंह, जगवीरसिंह, सुरेन्द्रसिंह, गीता व परमिन्दर का नाम ही दर्ज किया है जबकि नामान्तरकरण में अपीलान्टान का नाम भी दर्ज होना चाहिये था इसी आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलान्टान का नाम भी दर्ज होना चाहिये था। इसी आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण काविल खारिजी के है। अपीलाधीन नामान्तरकरण करा रिपोर्ट के आधर पर कुरा में अंकित सभी खातेदारों के नाम तहत अदालत को स्वीकृत किया जाना चाहिये था लेकिन अदालत तहत ने अपीलाधीन नामान्तरकरण में कुरा संख्या 1 के समस्त खातेदारान का नाम अंकित नहीं किये

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

है इसी आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण काविल खारिजी के है। अपीलाधीन नामान्तरकरण विभाजन प्रस्ताव से भिन्न होने से खारिज योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अदालत तहत ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विभाजन प्रस्ताव के अनुसार समस्त खातेदारान के नाम नामान्तरकरण में दर्ज किये है या नहीं। अदालत तहत ने पत्रावली पर गौर किये बिना ही जल्दबाजी में अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत करने में भारी कानूनी भूल की है। अपीलान्टान औरत जाति से है आराजी की बाबत अपीलान्टान ने यह गौर नहीं किया कि विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण में उसका नाम आया है अथवा नहीं, दिनांक 14.06.2019 को अपीलान्टान ने इस तथ्य की जानकारी की तथा नकल जमाबन्दी हल्का पटवारी से प्राप्त की तो अपीलान्टान को यह जानकारी प्राप्त हुई कि आराजी में उनका नाम ही दर्ज नहीं है इस पर अपीलान्टान ने विभाजन/कुरा प्रस्ताव तथा नामान्तरकरण की नकल तहसीलदार कार्यालय भुसावर से निकलवायी जो कि दिनांक 14.06.2019 व दिनांक 17.06.2019 को प्राप्त हुई है जिससे अपीलान्टान को उक्त तथ्य की जानकारी हुई है। इसी कारण जानकारी होते ही अपीलान्टान द्वारा यह अपील पेश की जा रही है। लेकिन देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 07.06.16 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार भुसावर से नामान्तरकरण की सत्य प्रतिलिप प्राप्त हुई जो शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्टान का नाम नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 07.06.16 में अंकित नहीं किया गया है जबकि कुरा संख्या 1 में अपीलान्टान का नाम अंकित है। कुरा संख्या 1 अंकित नामों में से अपीलान्टान का नाम छोडकर बाकी सभी सदस्यों का नाम नामान्तरकरण में दर्ज किया गया है। अदालत तहत ने विभाजन से भिन्न जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्टान का कहना है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 14.06.19 को हुई थी। दिनांक 14.06.2019 व 17.06.2019 को नकल प्राप्त की गई। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है। देरी को माफ करने के लिये म्याद अधिनियम धारा 5 में शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः देरी को माफ करते हुये अपील स्वीकार की जाकर नियम विरूद्ध पारित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 07.06.2016 निरस्त किया जावे।

योग्य अभिभाषक रैस्पो0 ने जाहिर किया कि अपील म्याद बाहर पेश की गई है। उन्होने जाहिर किया कि तहसीलदार भुसावर ने नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 07.06.16 सही स्वीकृत किया है। अभिभाषक रैस्पो0 ने अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 07.06.16 का अवलोकन किया गया। विवादित नामान्तरकरण संख्या 875 के कॉलम संख्या 14 व 16 में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है कि यह नामान्तरकरण लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से आराजी विभाजन के आधार पर खोला जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलान्टान का नाम कुरा संख्या 1 में मौजूद तो था परन्तु विवादित नामान्तरकरण तस्दीक करते समय अपीलान्टान का नाम छोड दिया गया है। जबकि मुताविक आराजी सहमति से किये गये विभाजन अनुसार कुरा संख्या 1 में रखे गये आराजी खसरा नम्बरान पर मुताविक कुर्रे अपीलान्टान का नाम नामान्तरकरण में दर्ज किये जाने चाहिये थें।

ऐसी स्थिति में हम अपील स्वीकार की जाकर मुताविक विभाजन/कुरे अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार भुसावर को आदेश दिये जाते है कि नामान्तरकरण मुताविक विभाजन/कुराबन्दी के अनुसार दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2020 को सुनाया गया।

(बीना माहवर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर